...लाल पिता हजारी जाति धाकड निवासी हरिपुरा हा0मु0 जोधा...
तहसील बेगूँ
...ललिता पुत्री हजारी धाकड निवासी हरिपुरा हा0मु0 जोधा पटेल की खेडी तह0 बेगूँ
वादीगण

बनाम

1— हुकमीचंद्र पिता जोधा धाकड निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ
2— हजारी पिता हुकमीचंद्र धाकउ निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ
3—बंशीलाल पिता हुकमीचंद्र धाकड निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ
4— ग्राम सेवा सहकारी समिति दौलतपुरा जरिये व्यवस्थापक कार्यालय सूलीमंगरा बेगूँ
5— श्री भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगूँ
6— श्रीमान राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय चितौडगढ़
प्रतिवादीगण

उपस्थित ::— श्री इफ्तेखार अजमेंरी
अधिवक्ता वादीगण
श्री हरीश चन्द्र शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांक ::—21.09.2023

निर्णय वाद अ0धा0 53—88—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से वाद पत्र अधिवक्ता श्री अजमेंरी द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य होकर प्रतिवादी संख्या एक वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या दो वादीगण के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 4 वादीगण के काका है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथि आपस में खून का रिश्ता है। मौजा गोपालपुरा पटवार क्षैत्र दौलतपुरा एवं मौजा हरिपुरा प0ह0 दौलतपुरा में वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 1 श्री हुकमीचंद्र उर्फ होकमा धाकड के नाम पर निम्न कृषि आराजीयात स्थित है:—

(अ) मौजा गोपालपुरा प0ह0 दौलतपुरा की खाता संख्या 116 में अंकित आराजीयात :—

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
622	0.15
629	0.10
632	0.55
637	0.54
639	0.10
645	0.32
648	1.21
कुल किता—7 कुल रकबा	2.97 हैक्टर

(ब) मौजा हरिपुरा प0ह0 दौलतपुरा के खाता संख्या 202 में अंकित आराजीयात :—

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
137	0.03
153मी.	0.0900
389	0.0300
कुल किता—3 कुल रकबा	0.1500 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 15:32:06 IST
Reason: SelfAttested

के आराजीयात है, हुकमीचंद्र जी के दो पुत्र प्रतिवादी सं. 2 व 3 है इस प्रकार आराजीयात में हुकमीचंद्र का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 2 व 3 प्रत्येक का 1/3 हिस्सा बनाता है। वादीगण प्रतिवादी सं0 2 के पुत्र एवं पुत्री है। इस नाते वादीगण का प्रतिवादी सं. 2 के 1/3 हिस्से में 1/3 हिस्सा प्रत्येक का बनता है जो सम्पूर्ण आराजयीात के रकबे में 1/9 हिस्सा प्रत्येक का बनता है। वादीगण के पिता हजारी जी ने वादीगण की माता के जीवित होते हुए पार्वतीबाई नाम की महिला से दूसरा विवाह कर लिया है एवं अपनी दूसरी पत्नी के बहकावे में आकर उक्त वर्णित आराजयीात में निहित अपने 1/3 हिस्से को विक्रय करना चाह रहे है जिसका की उन्हें कोई हक व अधिकार कानूनन प्राप्त नहीं है क्यो कि प्रतिवादी सं. 2 के 1/3 हिस्से में वादीगण प्रत्येक का भी 1/3 हिस्से का 1/3 हिस्सा यानि कुल आराजीयात का 1/9 हिस्सा ही शेष हिस्से में प्राप्त होता है प्रतिवादी सं. 2 को अपने 1/9 हिस्से से अधिक भूमि के विक्रय का कोई अधिकार नहीं हे फिर भी प्रतिवादी सं. 2 जबरन वादीगण के हक हिस्से की भूमि को भी विक्रय करने पर आमादा हो रहा है इसलिए वादीगण की ओर से अपने हिस्से की भूमि के विभाजन का यह वादपत्र न्यायालय आप के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

यह कि प्रतिवादी सं0 2 ने दिनांक 20.05.2013 को वादीगण को उनके हिस्से से बेदखल कर भूमि के विक्रय कर देने की धमकी दी तथा कहा किवह चवादीगण के हिस्से की भूमि को विक्रय कर वादीगण को भूमि से बेदखल कर देगा जबकि वादीगण अपने हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है एवं प्रतिवादी सं0 2 को वादीगण से उनके हिस्से की भूमि का कब्जा छीनने या वादीण्गा के हिस्से की भूमि को विक्रय करने का कोई हक व अधिकार कानूनन प्राप्त नहीं है। वर्णित आराजयीात में वादीगण प्रत्येक के निहित हक हिस्सा प्रत्येक का 1/9 हिस्से का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर विभाजन करवाया जाकर वादीगण के हिस्से में प्राप्त होने वाली भूमि की वादीगण के नाम पर घोषणा की जाने हेतु यह वाद पत्र प्रस्तुत है।

यह कि यदि प्रतिवादी सं. 2 द्वारा उक्त भूमि मे से वादीगण के निहित हक हिस्से का विक्रय कर दिया जाता है तो इससे वादीगण को अपूर्तनीय हानि होगी वादीगण अपने हक हिस्से की पुश्तैनी भूमि में महरूम हो जायेगें एवं वादीगण के समक्ष भूखे मरने की स्थिति उत्पन्न हो जावेगी । वादीगण को जो हानि होगी उसकी पूर्ति अर्थ में संभव नहीं होगी इसके विपरीत प्रतिवादीसं0 2 को कोई हानि होने वाली नहीं है। क्यो कि प्रतिवादी सं. 2 को वादीगण के हक हिस्से की पुश्तैनी भूमि बेचने का कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है इसलिए प्रतिवादी सं. 2 को सीाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने हेतु भी यह वाद पत्र से प्रतिवादी सं. 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे किवह उक्त पुश्तैनी आराजीयात में वादीगण के 2/9 हिस्से की भूमि को विक्रय न तो स्वयं करें न ही किसी अन्य नौकर ऐजेण्ड या परिवार में किसी अन्य सदस्य से न करे करावें।

यह कि मौजा गोपालपुरा की आराजीयात प्रतिवादी सं. 4 मुर्तहीन रहन होने व प्रतिवादी सं. 5 व 6 आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये है। वादपत्र की सुनवाई का अधिकार न्यायालय आप में निहित होने से वादपत्र न्यायालय श्रीमान आपके क्षैत्राधिकारएवं श्रवणाधिकार में है।

अतःवादीगण न्यायालय श्रीमान आप से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करते है कि :–

1– कि वाद वादीगण स्वीकार फरमाया जावे कि वाद पत्र की कलम सं. 2 में अंकित आराजीयात में वादीगण प्रत्ये का 1/9 [illegible] आराजीया तमे वादीगण प्रत्येक का 1/9 हिस्सा निहित है एवं इस हिस्से की [illegible] अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर विभाजन करवाया जाने का आदेश प्रदान [illegible] जावें।

2– यह कि वाद विभाजन वादीगण को [illegible] को वादीगण के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित किये जाने की [illegible] प्रदान कराई जावें।

3– प्रतिवादी सं. 2 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह उक्त वाद वर्णित भूमि में निहित वादीगण के हक हिस्से की भूमि का विक्रय न तो स्वयं करें न ही अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य नौकर या ऐजेण्ट आदि के माध्य से करावे यदि दौराने

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 16:32:06 IST
Reason: SelfAttested

... 3 की ओर से अधिकार पत्र अधिवक्ता श्री हरिश्चन्द्र ...

... कर निवेदन किया कि वाद वर्णित भूमि प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा बनायी हुइ है तथा ...वादीसं0 1 ही काबिज होकर काश्त कर रहे है प्रतिवादी सं0 2 व 3 का उक्त वर्णित आराजीयात पर कोई कब्जा व काश्त नहीं है। सम्पूर्ण आराजयीात का उपयोग उपभोग मैं प्रतिवादी अकेला ही कर रहा हूँ। वादीगण ने मनगढन्त तथ्य वादपत्र में अकित किये है। यह कि जब वादीगण प्रतिवादी सं. 3 के पास ही नहीं रहते है तो उनको धमकी देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। दोनो वादीगण अपने ननीहाल जोधा पटेल की खेडी में निवास करते चले आ रहे है। कोई धमकी प्रतिवादी सं0 3 के द्वारा वादीगण को नहीं दी गई है। प्रतिवादी सं. 3 का आराजीयात पर कब्जा काश्त ही नहीं है तो हिस्सा विक्रय की बात की गलत है। यह कि वर्णित आराजीयात में जब प्रतिवादी सं0 3 का हक हिस्सा ही नहीं है तो वादीगण का 1/9 हक हिस्सा कहां से आ गया है। चूंकि वाद वर्णित आराजीयात अभी तक मुझ प्रतिवादी के कब्जे काश्त में है, जिसका उपयोग उपभोग कर रहा हूँ वादीगण न तो कभी ग्राम हरिपुरा में रहा है ना ही वर्तमान में रह रहे है, वादीगण अपने ननिहाल में ही रहते चले आ रहे है। वादीगण का वाद पत्र चलने योग्य नहीं है।

अतः निवेदन है कि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण का वाद पत्र खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली में जवाब प्रतिवादीगण सं. 1,2 व 3 का प्रस्तुत होने व अन्य प्रतिवादीगण का जवाब प्रस्तुत नहीं होने से पत्रावली में तनकी पत्र पृथक से कायम किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया :–

1– आया कि मौजा गोपालपुरा प0ह0 दौलतपुरा की खाता संख्या 116 में अंकित आराजी संख्या 622, 629, 632, 637, 639, 645, 648 किता–7 कुल रकबा 2.97 हैक्टर एवं मौजा हरिपुरा प0ह0 दौलतपुरा के खाता संख्या 202 में अंकित आराजी संख्या 137, 153मी, 389 किता–3 कुल रकबा 0.1500 हैक्टर भूमि में वादीगण प्रत्येक का 1/9 हिस्सा अनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर विभाजन कराने के अधिकार है। तथा बाद विभाजन वादीगण को हिस्से से प्राप्त होने वाली भूमि को वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित किये जाने की घोषणा करा पाने एवं प्रतिवादी सं0 2 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने कि वाद वर्णित भूमि में निहित वादीगण के हक हिस्से की भूमि का विक्रय ना तो स्वयं करें ना ही अपने परिवार के सदस्य नौकर ऐजेन्ट आदि के माध्यम से करावें। यदि दौराने वाद प्रतिवदी सं02 द्वारा भूमि का विक्रय कर दिया जाता है तो वादीगण के हक हिस्से की भूमि का विक्रय निरस्त घोषित करा पाने के वादीगण अधिकारी हैं? वादीगण

2– आया कि वादीगण अपने ननिहाल में ही रह रहे है, वादीगण का कब्जा वाद वर्णित आराजीयात पर कभी भी नहीं रहा है ना ही वादीगण का आराजी में 1/9 हिस्सा है, प्रतिवादी अकेला ही आराजीयात का उपयोग उपभोग कर रहा है। वादीगण आराजीयात ना तो स्वयं विभाजन करा पाने के अधिकारी है ना ही आराजीयात में प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी है, वादीगण का वाद खारिज होने योग्य हैं? प्रतिवादीगण

3–आया कि प्रतिवादी सं. 4 भूमि के ऋण को प्राप्त कर पाने के अधिकारी है? प्रति.सं.4

4– दादरसी ?

पत्रावली में तनकी पत्र कायम किये जाने के उपरान्त वादीगण की ओर से साक्ष्य वादीगण में शपथ पत्र रंगलाल, गवाह बाबूलाल के प्रस्तुत किये जिनमें से रंगलाल के बयान कलमबद्ध कराये, वक्त जिरह वादी रंगलाल द्वारा ... प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श करा अपने बयानों को कलमबद्ध कराया गया। वादीगण ... साक्ष्य पूर्ण होने उपरान्त प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने के काफी अवसर दिये जाने पर भी प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये जाने से साक्ष्य प्रतिवादीगण की ... पत्रावली में साक्ष्य वादीगण की होने एवं प्रतिवादीगण की कोई साक्ष्य नहीं होने ... पश्चात उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस वाद पत्र के अनुसार करते हुए वाद वर्णित आराजीया त में अपने हिस्से का विभाजन कराने एवं घोषणा कराने का निवेदन किया गया, जबकि अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में वाद वर्णित आराजीयात प्रतिवादी सं0 1 की होकर उनका ही कब्जा काश्त होने व प्रतिवादी सं. 2 व 3 का कोई हिस्सा नहीं होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 15:32:06 IST
Reason: SelfAttested

1–तनकी नं0 1 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण का है, पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा गोपालपुरा प0ह0 दौलतपुरा सं0 2065 से 2068 जो कि प्रदर्श–1 है का अवलोकन किया गया, जमाबंदी में वर्णित आराजी संख्या 622, 629, 632, 637, 639, 645, 648 किता–7 कुल रकबा 2.97 हैक्टर भूमि श्री हुकमीचंद्र पिता जोधा धाकड के नाम पर दर्ज अंकित है, इस जमाबंदी में प्रतिवादी सं0 2 व 3 का नाम नहीं है। नकल जमाबदी प्रदर्श–2 मौजा हरिपुरा सं0 2068–2071 का अवलोकन किया जमाबंदी में दर्ज आराजी संख्या 137, 153मी, 389 किता–3 कुल रकबा 0.1500 हैक्टर भूमि होकमा पिता जोधा धाकड के नाम पर दर्ज अंकित है इसमें भी प्रतिवादी सं0 2 व 3 का नाम नहीं है। ग्राम गोपालपुरा की आराजी पर रहन दर्ज अंकित है। पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श–3 मिलान भू–प्रबन्ध सेटलमेन्ट की नकल प्रस्तुत की है, नकल में गत आराजी नम्बरान व वर्तमान आराजीयात नम्बरान का मिलान स्पष्ट अंकन नहीं होने से किस कारण यह प्रस्तुत की है यह तथ्य वाद पत्र में स्पष्ट नहीं है। साथ ही भू–प्रबन्ध सेटलमेन्ट की नकल में भी जोधा पिता किशना का ही नाम अंकित हो रहा है। प्रदर्श–4 नकल जमाबंदी मौजा गोपालपुरा सं0 2023 से 2026 तक प्रस्तुत की है जिसमें अंकित गत आराजी संख्या 308, 310, 311, 312, 313, 314, 315, अन्य आराजी नम्बरान जो कि अपठित है का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। इस प्रकार इन सभी प्रस्तुत दस्तावेज से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि वर्णित भूमि के खातेदार प्रतिवादी सं0 1 हुकमीचंद्र पिता जोधा के नाम पर दर्ज अंकित है, प्रतिवादी सं0 2 व 3 का नाम अभी आराजीयात में अंकित नहीं हुआ है, वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी सं0 2 व 3 का कितना हिस्सा अंकित है, तथ्य वाद पत्र में स्पष्ट नहीं होता है, साथ ही यह भी तथ्य स्पष्ट नहीं होता है कि वादीगण का 1/9 हिस्सा किस प्रकार से है वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में कोई सजरा अंकित नहीं किया गया है, साथ ही वादीगण द्वारा प्रथम वर्णित आराजीयात में विभाजन चाहा गया है जबकि आराजीयात के वह खातेदार ही नहीं है तो हिस्सा विभाजन किस आधार पर करा सकते है, यह तथ्य भी वादीगण ने स्पष्ट नहीं किया है, वादीगण का कब्जा काश्त भी वर्णित आराजीयात पर नहीं है, यह तथ्य बयान में स्पष्ट होता है। वादीगण अपने ननिहाल में ही निवास कर रहे है। बयान में कथन किया है कि कक्षा 3 व 4 तक पढाई अपने गांव हरिपुरा में की थी जब इनका कब्जा होने की बात कही है यह तथ्य भी अपने आप में स्वतः ही निरस्त योग्य है कि नाबालिग अवस्था में कृषि भूमि पर काश्त किस प्रकार करते थे। साथ ही जब वादीगण के पिता का नाम वर्णित आराजीयात में अंकित नहीं है तो वादीगण को किस प्रकार धमकी प्रतिवादी सं0 2 द्वारा दी गई है यह स्पष्ट नहीं होता है। वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किस प्रकार करा सकते है। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य से वादीगण अपने वाद पत्र को सिद्ध करा पाने में पूर्णतया असफल रहे है, तनकी नं0 1 विरूद्ध वादीगण बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

2–तनकी नं0 2 का निर्णय::–

इस तनक को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण का है जिन्होने पत्रावली में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है ना ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है किन्तु तनकी नं0 1 के निर्णय से स्पष्ट होता है कि वादी... वर्णित भूमि पर नहीं है। जिससे यह तनकी स्वतः ही प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णि...। अतः तनकी नं0 2 बहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 15:32:06 IST
Reason: SelfAttested

3–तनकी नं0 3 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी सं. 4 का है , नकल जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा गोपालपुरा की आराजीयात में खातेदार हुकमी चंद्र द्वारा ऋण

...से प्राप्त करने का अधिकार प्रतिवादी सं. 4 का है। अतः यह तनकी बहक ... 4 विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

इस प्रकार सभी तनकी दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत के आधार पर वादीगण के विरूद्ध ...होकर वादीगण अपने वाद पत्र को दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर सिद्ध करा ...में पूर्णतया असफल रहे है। जिससे वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जाने योग्य है। ... वाद वादीगण अ०धा० 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य ...के आधार पर सिद्ध नहीं होने से वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2023 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 15:32:06 IST
Reason: SelfAttested